न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–341/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00196)

1. ग्राम पंचायत मण्डोर, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर, जरिये सरपंच।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 26.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी के आदेश दिनांक 17.07.2018 (अपील संख्या 106/201) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 118 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करके अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, सरकार चारागाह भूमि वाके ग्राम पिनाच, पटवार हल्का मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, उक्त वर्णित चारागाह भूमि ग्राम पिनाच की आबादी भूमि के नजदीक स्थित होने से वहॉ ग्रामवासी धीरे–धीरे अपने परिवार सहित निवास कर बाड़े व खाम तथा पुख्ता मकानात बनाकर निवास करने लग गये जिस पर ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 521 में से कुछ भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने बाबत जिला कलक्टर एवं राज्य सरकार के यहॉ नियमानुसार चारागाह की जिस पर नियम कार्यवाही करते हुए उक्त वर्णित खसरा नम्बर 521 में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज करते हुए नया खसरा नम्बर 521/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि आबादी हेतु परिवर्तित भूमि का जहॉ इन्द्राज किया जाना था, उस बाबत नियमन के समय नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित भूमि वास्तविक कब्जे के एव मौके के विरूद्ध दर्ज हो गई, वस्तुतः ग्राम पिनाच के निवासीगण, उक्त खसरा नम्बर 521 के लगवार सड़क किनारे की भूमि पर पिछले 25–30 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रही है परन्तु सद्भावित भूलवंश नक्शें मे प्रस्तावित तरमीम मौके पर निर्मित खाम व पुख्ता मकानात सहित काबिज व्यक्तियों के स्थान के विरूद्ध दर्ज हो गई, इस कारण ग्रामवासियों को आबादी सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है, इस कारण ग्राम पिनाच के निवासियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु ग्राम पंचायत मण्डोर की बैठक मे प्रस्ताव लिया गया कि उक्त खसरा नम्बर 521/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा की नक्शे में तरमीम वास्तविक कब्जे के

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है क ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा लिये गये प्रस्ताव के अनुसार ही ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार फागी को दिनांक 02.10.2015 को प्रेषित किया गया, जिस पर तहसीलदार फागी द्वारा दिनांक 03.11.2015 को पटवारी हल्का मण्डोर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जारी किया गया, आदेश दिनांक 03.11.2015 की पालना में पटवारी हल्का रिपोर्ट द्वारा मौका रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई जिसमें उल्लेख किया गया कि "खसरा नम्बर 521 किस्म चारागाह में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म परिवर्तन कर आबादी हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित की थी जिसका प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा भी संलग्न है जिसकी तरमीम नक्शें में नही है, ग्राम पंचायत मण्डोर के द्वारा उक्त भूमि की तरमीम मौके के अनुसार उसी खसरा नम्बर में रह रहे परिवारों को शामिल करते हुए तरमीम कराना चाहती है, जो कि रास्ते के लगवा उत्तर से दक्षिण की ओर चाहती है"। उन्होने कथन किया है कि पटवारी हल्का की उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 521 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ग्रामवासी खाम व पुख्ता मकानात एवं बाड़े बनाकर निवास कर है परन्तु जहॉ आबादी हेतु प्रस्तावित भूमि थी वहॉ आबादी नही बसकर रोड़ किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर आबादी बसी हुई है, इस कारण उक्त प्रस्तावित नक्शें के बजाय मौके पर काबिज एवं उपयोग–उपभोग के अनुसार तरमीम करवाने हेतु ग्राम पंचायत ने नियमानुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 106/2017 अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक आबादी के विरूद्ध जाकर एवं पटवारी रिपोर्ट के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2017 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय वास्तविक आबादी बसे होने की मौका रिपोर्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पर कतई गौर नही किया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित व दर्शित आबादीयुक्त स्थान का स्पष्ट उल्लेख है जिससे बखूबी प्रमाणित होता है कि ग्राम पिनाच की आबादी खसरा नम्बर 521/1 की भूमि पर सड़क के लगवा उत्तर से दक्षिण की ओर बसी हुई है जहॉ ग्रामवासियों के खाम व पुख्ता मकानात एवं बाड़े बने हुऐ है जिनका पिछले 25–30 वर्षो से उपयोग–उपभोग ग्रामवासी कर रह है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा वास्तविक आबादी के अनुसार ही तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया कि वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम किये जाने से किसी भी पक्ष को कोई हानि नही है बल्कि वास्तविक आबादी वाले व्यक्तियों को आबादी सम्बन्धी सरकारी जन सुविधाओं का लाभ मात्र प्राप्त हो

संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के मूलभूत अधिकार से वंचित करना है, जो कि अवैध है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकरी अपीलान्ट को दिनांक 21.08.2018 को अपने अधिवक्ता द्वारा सूचित करने से हुई है इससे पूर्व कभी भी आक्षेपित आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नही हो सकी इस कारण जानकारी होते ही नियमानुसार नकल हेतु आवेदन पत्र पेश करके नकल दिनांक 23.08.2018 को प्राप्त होते ही यह अपील यथाशीघ्र कानूनी सलाह प्राप्त कर ग्राम पिनाच के वासियों के हितार्थ हो सुदृढ आधारों पर पेश की गई तथा विलम्ब से सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पिनाच के निवासीगण खसरा नम्बर 521/1 की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि से अधिक भूमि पर काबिज हो गये है परन्तु आबादी भूमि मात्र 1.10 बीघा ही होने से उक्त भूमि पर बसे हुए ग्राम वासियों को आबादी भूमि सम्बन्धी सुविधाऐ प्रदान करने हेतु पूर्व प्रस्ताविक नक्शे की बजाए, वर्तमान काबिज नक्शे के अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाना जनहित में आवश्यक है अन्यथा तो ग्राम मे जन विरोध उत्पन्न हो जावेगा, इस कारण जनहित में भी आक्षेपित आदेश निरस्त कर सुधार किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2018 को निरस्त फरमाया जावें तथा खसरा नम्बर 521/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पिनाच तहसील फागी के नक्शे में वास्तविक मौके के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 521/1 ग्राम पिनाच तहसील फागी जिला जयपुर की जिला कलक्टर जयपुर द्वारा सेटअपार्ट के समय प्रस्तावित नक्शानुसार

आबादी विस्तार किया गया है जो कानूनी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर जयपुर द्वारा सेटआपर्ट के समय प्रस्तावित नक्शानुसार ही नक्शे में तरमीम की जा सकती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में दिनांक 17.07.2018 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2018 को यथावत् रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।